रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31082026-275877
SG-DL-E-31082026-275877

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2026/भाद्र 6, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 186
No. 250]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2026/BHADRA 6, 1948	[N. C. T. D. No. 186

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

फा.स. 160/SF/Gen/2026.— सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'एम. वरधन बनाम भारत संघ' (W.P. (C) No. 1319 of 2023) मामले में 18.11.2025 को पारित आदेश के अनुसार, दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव 21, 22 और 23 फरवरी, 2026 को विधिवत आयोजित किए गए थे।

दिल्ली बार काउंसिल में 25 सदस्य होते हैं। यह चुनाव 23 सदस्यों को चुनने के लिए आयोजित किया गया था। अठारह सदस्यों ने चुने जाने के लिए निर्धारित कोटा हासिल कर लिया है, जबकि पांच महिला उम्मीदवारों को 'हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी' द्वारा 09.02.2026 को जारी आदेश में बताई गई 'रिवर्स एलिमिनेशन' प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। इसके अलावा, दो महिला उम्मीदवारों को सह-चयनित (co-opt) किया जाना था। इन दो महिला सदस्यों के नामों की सिफारिश अभी दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी बाकी है; यह प्रक्रिया 'योगमाया एम.जी. बनाम भारत संघ व अन्य' (Writ Petition (C) No. 581 of 2024) मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 04.08.2026 को पारित आदेश के अनुसार की जाएगी।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18.06.2026 के अपने आदेश (SLP (C) No. 21926/2026, मामला: रुद्र विक्रम सिंह बनाम बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली और अन्य) में निर्देश दिया कि "वोटों की गिनती जारी रखी जाए और जल्द से जल्द पूरी की जाए, हालाँकि, इस कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा"।

इसके अनुसार, उक्त आदेश का पालन करते हुए, चुनाव की परिणाम शीट माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गईं।

इसके बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त मामले में 14.08.2026 के अपने आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिए:

" 5. हम दिल्ली बार काउंसिल को निर्देश देते हैं कि वे ओरिजिनल CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग सहित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने पेश करें।

6. इस बीच, नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन वे ट्रिब्यूनल के सामने मौजूद याचिकाओं के नतीजों पर निर्भर करेंगे।

8. दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया जाता है कि वे ओरिजिनल CCTV फुटेज सुरक्षित रखें और उसकी एक कॉपी दिल्ली स्टेट बार काउंसिल को दें।"

भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 14.08.2026 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, माननीय रिटर्निंग ऑफिसर ने उन उम्मीदवारों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए हैं जिन्होंने कोटा पूरा कर लिया है, साथ ही महिला उम्मीदवारों के परिणाम भी उनके 'रिवर्स एलिमिनेशन' (उल्टे क्रम में बाहर होने) के आधार पर घोषित किए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों के अनुसार दिल्ली सरकार (NCT) के आधिकारिक गजट में इन परिणामों को अधिसूचित करने के लिए आगे भेज दिया है।

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव में, 2,323.05 वोटों का कोटा पूरा करने वाले निम्नलिखित 18 उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया गया है।

1. श्री पीयूष गुप्ता

2 श्री बलबीर सिंह जाखड़

3. श्री मुरारी तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता (अधिसूचना दिनांक 09.07.26 से)

4. श्री महावीर शर्मा

5. श्री महमूद प्राचा

6. श्री राकेश सहरावत

7. श्री राजेश मिश्रा

8. श्री रमित सहरावत

9. श्री संजय राठी

10. श्री नितिन अहलावत

11. श्री राम स्वरूप गोस्वामी (आर.एस. गोस्वामी)

12. श्री रमेश गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता

13. श्री राहुल शर्मा

14. श्री कृष्ण कुमार मनन (के.के. मनन) वरिष्ठ अधिवक्ता

15. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा

16. श्री रमन शर्मा

17. श्री राजपाल कसाना

18. श्री कुमार मुकेश

इसके अलावा, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 08.12.2025 के आदेश (W.P. (C) No. 581/2024, योगमाया एम.जी. बनाम भारत संघ व अन्य) और माननीय हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमिटी के 09.02.2026 के आदेश तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 18.02.2026 के पत्र (Ref. No. BCI:D:1097/2026) के निर्देशों का पालन करते हुए, शीर्ष पांच महिला उम्मीदवारों की सूची उनके एलिमिनेशन (बाहर होने) के उल्टे क्रम में नीचे दी गई है:

1. सुश्री संगीता सोंधी

2 सुश्री युक्ति राठी

3. सुश्री अमृत कौर ओबेरॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता (अधिसूचना दिनांक 09.07.26 से)

4. सुश्री अनुप्रिया यादव

5. सुश्री गरिमा भारद्वाज

इसीलिए, ऊपर बताए गए 23 चुने हुए उम्मीदवारों के संबंध में यह आंशिक नोटिफ़िकेशन, दिल्ली सरकार के NCT के ऑफ़िशियल गज़ट में पब्लिश करने के लिए भेजा जा रहा है। बाकी दो महिला सदस्यों के नाम, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय चीफ़ जस्टिस द्वारा उनकी सिफ़ारिश किए जाने पर पब्लिश करने के लिए भेजे जाएंगे, जिससे दिल्ली बार काउंसिल के 25 सदस्यों का गठन पूरा हो जाएगा।

कर्नल अरुण शर्मा (रिटायर्ड),सचिव

दिल्ली गजट (भाग-IV) (असाधारण) में प्रकाशन के लिए हिंदी संस्करण की तीन प्रतियों के साथ प्रधान सचिव (विधि, न्याय और विधायी कार्य), दिल्ली सरकार को प्रति अग्रेषित की जा रही है। साथ ही, अनुरोध है कि आधिकारिक उपयोग के लिए गजट की 3 प्रतियां इस विभाग को भेजी जाएं।

कर्नल अरुण शर्मा (रिटायर्ड),सचिव

BAR COUNCIL OF DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 20th August, 2026

F. No. 160/SF/Gen/2026.— It is hereby notified for the information of all concerned that, in terms of the order dated 18.11.2025 passed by the Hon’ble Supreme Court of India in the matter of *M. Varadhan Vs. Union of India*, W.P. (C) No. 1319 of 2023, the elections of Bar Council of Delhi, were duly conducted on 21st, 22nd and 23rd February, 2026.

The Bar Council of Delhi comprises 25 members. The election was held for electing 23 members. Eighteen members, have achieved the prescribed quota for being elected, while five women candidates have been elected through the process of reverse elimination, as prescribed by the High-Powered Election Supervisory Committee vide its order dated 09.02.2026. Further, two women candidates were to be co-opted. The names of these two women members are yet to be recommended by the Hon’ble Chief Justice of the Delhi High Court, in terms of the order dated 04.08.2026 passed by the Hon’ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 581 of 2024, titled *Yogamaya M.G. Vs. Union of India & Ors.*

The Hon'ble Supreme Court vide its order dated 18.06.2026 passed SLP (C) No. 21926/2026, titled *Rudra Vikram Singh Vs. Bar Council of Delhi & Anr.*, directed that "*counting of votes shall continue and be completed at the earliest, however, the result shall not be notified without prior permission of this Court*".

Accordingly, in compliance with the aforesaid order, the result sheets of the election were submitted before the Hon'ble Supreme Court in the said matter.

Thereafter, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 14.08.2026 in the above matter, inter-alia directed as under:

> " 5. We direct the Bar Council of Delhi to preserve the entire record, including the original CCTV footage and the videography recordings and produce the same before the Tribunal(s).
>
> 6. Meanwhile, the results will be declared, but the same shall be subject to the outcome of the petitions before the Tribunal (s)
>
> 8. The Delhi Police is also directed to preserve the original CCTV footage and provide a copy thereof to the Delhi State Bar Council."

In view of the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 14.08.2026, the Hon'ble Returning Officer has declared the election results of the candidates who have achieved the quota and also the women candidates in the order of their reverse elimination. The Returning Officer has forwarded the result for notifying the same in the official gazette of Govt. of NCT of Delhi in accordance with the rules.

The following 18 candidates, having achieved the quota of **2,323.05 votes**, have been declared elected in the election of the Bar Council of Delhi.

1. Shri Piyush Gupta
2 Shri Balbir Singh Jakhar
3. Shri Murari Tiwari, Sr. Advocate (w.e.f. notification dt. 09.07.26)
4. Shri Mahavir Sharma
5. Shri Mehmood Pracha
6. Shri Rakesh Sherawat
7. Shri Rajesh Mishra
8. Shri Ramit Sehrawat
9. Shri Sanjay Rathi
10. Shri Nitin Ahlawat
11. Shri Ram Swaroop Goswami (R.S. Goswami)
12. Shri Ramesh Gupta Sr. Advocate
13. Shri Rahul Sharma
14. Shri Krishan Kumar Manan (K.K. Manan) Sr. Advocate
15. Shri Devender Kumar Sharma
16. Shri Raman Sharma
17. Shri Rajpal Kasana
18. Shri Kumar Mukesh

Further, in compliance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 08.12.2025 passed in W.P. (C) No. 581/2024, titled *Yogamaya M.G. Vs. Union of India & Ors.*, read with the order dated 09.02.2026 passed by the Hon'ble High-Powered Election Supervisory Committee and the letter bearing Ref. No. BCI:D:1097/2026 dated 18.02.2026 issued by the Bar Council of India, the following are the top five women candidates, arranged in the reverse order of their elimination:

1. Ms. Sangeeta Sondhi
2 Ms. Yukti Rathi
3. Ms. Amrit Kaur Oberoi, Sr. Advocate (w.e.f. notification dt. 09.07.26)
4. Ms. Anupriya Yadav
5. Ms. Garima Bharadwaj

Accordingly, this partial notification in respect of the aforesaid 23 elected candidates is hereby forwarded for publication in the Official Gazette of the Government of NCT of Delhi. The names of the remaining two women members shall be forwarded for publication as and when their names are recommended by the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Delhi, thereby completing the constitution of the 25-member Bar Council of Delhi.

Col. ARUN SHARMA (Retd.),Secy.

Copy forwarded to The Principal Secretary (Law, Justice & LA), Govt. of N.C.T. of Delhi alongwith three copies of Hindi version for publication in Delhi Gazette (Part-IV) (Extraordinary) with the request that 3 copies of the Gazette may please be sent to this department for official use.

Col. ARUN SHARMA (Retd.),Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2026.08.31 21:26:55 +05'30'